न्यायालयः पंकज बुटानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खाचरौद जिला उज्जैन (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण कमांक : 242/2022
संस्थापन/फाईल दिनांक– 01.10.2022
फाईलिंग नंबर 850/2022
सीएनआर नम्बर–एमपी1305–001090–2022
अपराध कमांक/206/2022

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
थाना खाचरौद जिला उज्जैन म0प्र0 ....अभियोगी

बनाम

1– कालू उर्फ संतोष पिता बाबुलाल, आयु–23 वर्ष,
2– प्रहलाद पिता रतनलाल बलाई, आयु–36 वर्ष,
समस्त निवासीगण–जूना शहर खाचरौद, थाना खाचरौद,
जिला उज्जैन म.प्र.
...............आरोपीगण

पुलिस थाना खाचरौद, जिला उज्जैन के अपराध क्र0–206/2024 अन्तर्गत धारा 36 (बी) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उदभूत प्रकरण।

:::– नि र्ण य –:::
(आज दिनांक–24.08.2024 को घोषित)

01. आरोपीगण के विरूद्ध धारा–36(बी) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का अभियोग इस आधार पर है कि उन्होंने दिनांक 22.04.2022 को समय लगभग 19:00 बजे लगभग, थाना खाचरौद क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थान तालाब की पाल सार्वजनिक स्थान खाचरौद, तहसील खाचरौद पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुये पाया गया था।

02. प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किया जाना निर्विवादित तथ्य है।

03. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 22.04.2022 को कस्बा भ्रमण के दौरान तालाब की पाल खाचरौद पहुंचा जहां दो व्यक्ति तालाब की पाल सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पी रहे है सूचना पर कार्यवाही हेतु राहगीर पंचान रामप्रसाद पिता भुवान एवं नारायण पिता लक्ष्मण को

तलब कर पंचानों को उक्त व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता दिखाया फोर्स व पंचान की मदद से उक्त व्यक्ति को पकडा व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कालू उर्फ संतोष पिता बाबुलाल, आयु–23 वर्ष एवं प्रहलाद पिता रतनलाल बलाई, आयु–36 वर्ष, समस्त निवासीगण–जूना शहर खाचरौद, थाना खाचरौद, जिला उज्जैन म.प्र. का होना बताया। उनके पास से एक देशी प्लेन शराब का क्वार्टर जो आधा भरा एवं दो गिलास प्लास्टिक का समक्ष पंचान जप्त किया गया। उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपीगण को अपराध–विवरण की रचना कर अपराध की विशिष्टीयॉ पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध स्वेच्छया स्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।

05. अभियुक्तगण की ओर से स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध अभिस्वीकृति दी गई है। उक्त आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उसने घटना दिनांक को सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन किया है। अतः अभियुक्तगण को धारा–36(बी) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

06. आरोपीगण को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–36 (बी) के अन्तर्गत 700–700/–रू. (सात–सात सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर आरोपी को 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

07. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ती देशी प्लेन शराब का क्वार्टर जो आधा भरा एवं दो प्लास्टिक का गिलास मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(पंकज बुटानी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खाचरौद जिला उज्जैन, म0प्र0
खाचरौद, दिनांक 24.08.2024

(पंकज बुटानी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खाचरौद जिला उज्जैन, म0प्र0

PANKAJ BUTANI

Digitally signed by PANKAJ BUTANI
Date: 2024.08.24 14:56:36 +0530